



प्रापिकार से प्रकारिक PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

मई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 6, 1986/भात्र 15, 1908

No. 361

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6, 1986/BHADRA 15, 1908

इस भाग में भिम्म पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के इस में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

সাদা II—স্বাস্ত 3—স্থা-স্বাস্ত (i)
PART II—Section 3— Sub-section (i)

(रक्षा मंत्राज्य को छोड़कर) भारत गरकार के मंत्रालयों और (गंध राज्य क्षेत्र प्रणास**ों को छोड़कर)** केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्दर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम दिशमों साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्यं विभाग)

नई दिल्ली, 25 ज्लाई, 1 986

सा.का.नि....688:---राष्ट्रपति, संविधान के प्रनुष्ठिव 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रीर विधि घीर न्याय मंत्रालय (विधि प्रीर पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 2) घीर पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 3) भर्ती नियम, 1979 को उन बातों के मिनाय प्रधिकात करते हुए जिन्हें ऐसे प्रधिकाण के पूर्व किया गया या करने से लोग किया गया है, विधिकार्य विधाग, विधि प्रीर न्याय मंत्रालय में पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 2) ग्रीर पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 3) के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, प्रधांत :---

- 1. संक्षिप्त नाम भौर प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि भौर न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) पुरतकालयाध्यक्ष (श्रेणी 2) শ্বীर पुरतकालयाध्यक्ष (श्रेणी 3) भर्ती नियम, 1986 है।
 - (2) ये राजपत में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्यां, वर्गीकरण भीर वेतनमान: पुस्तकालाध्यक्ष (श्रेणी 2)भीर पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 3)पवीं की संख्या, उनका वर्गीकरण भीर उससे संबंधित वेतन-मान वे होंगे जो कमशः इससे मनुसूची। भीर धनुसूची 2 के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य मह्ताएं मावि: एक पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, म्रह्ताएं भीर उक्त पदों से संबंधित अन्य बाते वे होगी जो संबंधित अनुसूची के स्तम्म 5 से 14 में विनिर्दिष्ट है।
 - 4. निरहेशा-वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

8

10

limited departmental competitive examination.

11

Degree with physics as one of the subjects from a recogniscd University;

OR

Degree in Electrical Engineering from a recognised University or equivalent degree;

Diploma in Sound Recording and Sound Engineering awarded by the Film and T.V. Institute of India, Pune. Desirable:

Knowledge of Wireless or Radio Engineering.

12

Promotion

Senior Technicians in All India Radio/Doordarshan with 5 years' service in the grade or in a higher grade, rendered after appointment to the grade on a regular

Limited Departmental Competitive Examination: Senior Technicians in All India Radio/Doordarshan with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis, or with 8 years' total service in the grade of Technician and Senior Technician rendered after appointment to these grades on a regular basis. If Senior Technicians with requisite length of service are not available, then Mast Technicians/Diesel Technicians who have put in 8 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.

Footnote: All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules 1964 were promulgatedvide Ministry of Information & Broadcasting Notification No. GSR 1776 dated 30th Nov., 1964. Subsequently, supericded partially under the Notification of the Govt. of India in the Ministry of I & B No. 704/11/77-B(D), dated 10th May, 1979 with GSR No. 76, dated 2nd June, 1979, and amended under the notification of the Govt. of India in the Ministry of I & B No. 704/11/77-B(D), dt. 7-2-81 and No. 310/10/82-B(D), dt. 7th May, 1985.

Group 'C' Departmental Promotion Not applicable. Committee consisting of....

(i) Director (Engineering) dealing with administration

13

- Chairman
- (ii) An Engineering officer of the level of Deputy Director (Engineering) from All India Radio/Doordarshan dealing with administration—Member
- (iii) A Group 'A' Engineering Officer of another Department having requisite technical background — Member

नई दिल्ली, 19 धगस्त, 1986

मा का . नि . 728--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेव 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भ्राकाशवाणी (समुह "ख" राजपन्नित पद) भर्ती नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बताते हैं, ग्रंथीत्:

- (।) इन नियमो का संक्षिप्त नाम ग्राकाशवाणी (समह "ख" राजपन्नित पद) भर्सी (संशोधन) नियम, 1986 है।
 - (2) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारीखा की प्रवृत्त होंगे।

2. ग्राकाणवाणी (समृह "ब" राजपत्नित पद) भर्ती नियम, 1985 की ग्रमुम्बी के स्तंम 8 में "(3 वर्षीय पाइयकम) कोब्टकों, अंक और 662 QI/86--18मन्दों के स्थान पर "(2 वर्षीय पाठ्यक्रम)" कोण्ठक, अंक और मन्द रखे जाएंगे।

टिप्पण: मुल नियम, भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3(i) तारी **व** 6-3-62 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सरकारी ग्राधिसचना सं. सा. का. नि. 347, तारीख 6-3-62 द्वारा किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे :— 🖔

> (1) भारत के राजपन्न, भाग 2, खंड 3(i) में प्रकासित सरकारी ग्रधिसूचना सं. 301/4/83-बी (डी) ए 🏻 तारीका 8-8-85 I

> > सिं. 301/4/83-बो(बी)-ए III जे० जीव भाटिया, जबर श्रदिश

[No. 2.2/20/02-20/2)]

New Delhi, the 19th August, 1986

G.S.R. 728.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'B' Gazetted post) Recruitment Rules, 1985, namely:—

- (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'B' Gazetted post) Recruitment (Amendment) Rules, 1986.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. In the Schedule to All India Radio (Group 'B' Gazetted post) Recruitment Rules, 1985, in Column 8, tor the brackets, figure and words "(3 years course)", the brackets, figures and words "(2 years course)", shall be substituted.
- NOTE.—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i), dated 6-3-62 vide Government notification, Ministry of I&B, No. GSR 34, dated 6-3-62 and was subsequently amended by,
 - (i) Government notification No. 301|4|83-B(D) A. II dated 8-8-85 published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i).

[No. 301|4|83·B(D)-AII] J. D. BHATIA, Under Secy.

परिवहन मंत्रालय

(जल भूतल विभाग)

(पत्तन पक्ष)

नर्व विस्ली, 5 अगस्त, 1986

सा.का.नि. 729.—-राष्ट्रपति, संविधान के अनुक्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीर अन्डमान सक्षद्वीप बन्दरगाह संकर्म में मास्टर के समृह "क" पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :---

- 1. संक्षित्व नाम भोर प्रारम्म: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अण्डमान लक्षद्वीप बन्दरगाह संकर्म (मास्टर) धर्ती नियम, 1986 है।
- (2) ये राजपन्न में प्रकाशन की सारीख की प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण भीर उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिदिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा श्रीर अर्हताएं आदिः उन्त पद पर भर्ती को पद्धति, आयु-मीमा, अर्हताएं श्रीर उससे संबंधित अन्य बातें बह होंगी जो पूर्वोक्त अनुमूची के स्तम्म 5 से 14 में विनिधिष्ट हैं।
 - 4. निरहेता वह व्यक्ति:---
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी परनो के जोबित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, जक्त पद पर नियुक्ति का पान्न नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति भीर विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुत्रीय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. बिधिल करने की प्रक्तिः जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या मनीचीन है, बहां बहु, उसके लिये जो कारण हैं उन्हों लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा बिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई ्बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट घौर अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं बालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार हारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों भें अनुसार अनुमूचित जातियों, अनुमूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों धौर अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेकित है।

अनुसूची⊤

पदकानाम	पदों की संख्या	वर्गीक रण	वेतनभान	चयन पद अप्या अचयन पद	सीघे भर्ती किये जाने बाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा		2
1	2	3	4	5	6	7	8
मास्टर	1* (1986) *कार्यभार के शाद्यार	साधारण केन्द्रीय मेवा समृह "क" राजपत्नित अननुसचित्रीय	1100-50- 1600 ছ.	लागू न हीं ु; होता	40 वर्षं से अधिक नहीं ' (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी फिये गये अनुवेशों या आदेशों के अनुसार	नहीं	आवश्यक : भारतीय नौसेना में भास्टर होस- ट्रेड शिप के रूप में या विदेश गामी पोत के मेट के रूप में